कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट
सोनभद्र– (उ0प्र0)

☎05446–252020 PIN Code: 231217 Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 3926/रेनुकूट/ 15– 38 दिनांक, रेनुकूट,जून, 14 , 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भः– 1–अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– 547/81–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक– 31.05.2021
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 2805/11–सी– FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक– 02.06.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करें । उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक–31.05.2021 द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करते हुए टेबुलर फार्म में निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– 547/81–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक– 31.05.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–350/87–एफ0सी0 दिनांक– 30.05.1989 द्वारा 6(छः) शर्तो के अधीन एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– एल0 598/14–3–1989 दिनांक– 22.12.1989 व संशोधित आदेश संख्या–5343/14–2–93–944/1987 वन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 01.11.1993 द्वारा 11(गयारह) शर्तो के अधीन 185.84 हे0 वन भूमि एन0सी0एल0 को 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी । भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा उक्तानुसार लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि से बिल्कुल अलग 18.2608 एकड़ वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो का उल्लंघन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न एजेंसियो को

Scanned with CamScanner

		लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की जानकारी पभाग के संज्ञान में आने पर प्रभाग के पत्र संख्या–4704/रेनुकूट/12 बैठक दिनांक– 10.06.2013 द्वारा प्रकरण वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–6473/मीरजापुर/33 दिनांक– 29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित किया गया । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 1571/11–सी–उल्लंधन दिनांक–30.01.2014 व पत्र संख्या– 419/11–सी दिनांक–20.08.2015 द्वारा प्रमुख सचिव(वन) उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर प्रकरण उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है । उक्त पत्रो की छाया प्रति संलग्न है ।
2	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत की गयी उल्लंधन के संबंध में दोषी कार्मिको के विरूद्ध की गयी कार्यवाही ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि उक्त बिन्दु संख्या–1 में अंकित पत्रो में वर्णित तथ्यो पर उ0प्र0 शासन स्तर से निर्णय लिये जाने के उपरान्त उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो के उल्लंधन के संबंध में दोषी कार्मिको के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
3	प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध अबतक की गयी दण्डात्मक कार्यवाही ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंधन का प्रकरण उपरोक्तानुसार उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन होने के कारण प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध अब तक दण्डात्मक कार्यवाही नही की गयी है । प्रकरण में उ0प्र0 शासन स्तर से निर्णय लिये जाने के उपरान्त निर्णयानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(मन मोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या–3926 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, ककरी परियोजना, ककरी–सोनभद्र को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए 185.84 हे0 वन भूमि के नवीनीकरण कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(मन मोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned with CamScanner

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— /11–सी–(उ०प्र०) दिनांक, लखनऊ, जनवरी 30 /2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव, (वन)
उ0प्र0शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय— वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन।

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव का परीक्षणोंपरान्त मूल संलग्नकों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है, कि कृपया शासन स्तर से उक्त प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः—यथोक्त (58 पृष्ठ)।

भवदीय

(ए0के0द्विवेदी)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–1571 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुरको उनके पत्रांक 6473/[illegible]/33 दिनांक 29.6.13 के क्रम में
2– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।

(ए0के0द्विवेदी)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

LT. No.-9 Page No.-826

Scanned with CamScanner

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांक- 6473 /मीरजापुर/ 33 दिनांक, मीरजापुर, जून 29 ,2013

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ ।

विषय- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन ।

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट का पत्र संख्या- 4704/रेनुकूट/12 बैठक, दिनांक 10.06.2013 ।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो इस कार्यालय को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है (छाया प्रति संलग्न) है। पत्र में उल्लिखित है कि मे0 नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना के अन्तर्गत धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुपालन की समीक्षा हेतु दिनांक 15.12.2012 को प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा एक बैठक आयोजित की गई जिसमें महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना नार्दन कोल फील्ड लि0 को आमंत्रित किया गया (संलग्नक-1)। उक्त बैठक में ककरी परियोजना के ओर से श्री एस0के0सिंह, खान अधिकारी एवं श्री यू0एस0सिंह पर्यावरण अधिकारी उपस्थित हुए । प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा उक्त बैठक में एन0सी0एल0 के उपस्थित अधिकारियों को एन0सी0एल0 के नियंत्रण के अधीन भारतीय वन अधिनियम 1980 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित वन भूमि को भारत सरकार के अनुमति प्राप्त किये बिना लैण्को पावर एवं अन्य निजी एजेंसियों को लीज पर एन0सी0एल0 द्वारा भूमि दिये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा एन0सी0एल0 को बैठक मे उपस्थित अधिकारियों के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये । एन0सी0एल0 के उपस्थित अधिकारियों को एन0सी0एल0 द्वारा निजी कम्पनियों को लीज डीड पर दी गई भूमि के अभिलेख इत्यादि प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये । बैठक के कार्यवाही के साक्ष्य के रूप में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं0 2071/रेनु0/12, दिनांक 15.12.2012 की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है (संलग्नक-2) ।

2. एन0सी0एल0 ककरी परियोजना द्वारा समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उन्हे उक्त सूचना/अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं0- 2161/रेनु0/12, दिनांक 24.12.2012 के माध्यम से अनुस्मारक प्रेषित किया गया (संलग्नक-3)। उक्त अनुस्मारक के पश्चात महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना के द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0 महाप्रबन्धक/ककरी/11/2012/893, दिनांक 27.12.2012 द्वारा अवगत कराया गया कि एन0सी0एल0 द्वारा लैन्को या अन्य किसी एजेंसी को जो भूमि दी गई है वह वन भूमि नही है तथा महाप्रबन्धक, एन0सी0एल0, ककरी परियोजना द्वारा लीज सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये (संलग्नक-4) । तत्कम में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं0 2401/10टी.सी., दिनांक 11.01.2013 के माध्यम से श्री एस0के0झॉ, महा प्रबन्धक एन0सी0एल0 ककरी को उक्त अभिलेख एवं सूचना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देते हुए अवगत कराया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम के अनुपालन से सम्बन्धी वांछित अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के श्रेणी में आता है (संलग्नक-5)। दिनांक 19.01.2013 को एन0सी0एल0 ककरी परियोजना की ओर से श्री एस0के0सिंह, महाप्रबन्धक एवं श्री यू0एस0सिंह, पर्यावरण अधिकारी, प्रभागीय कार्यालय में उपस्थित हुए परन्तु उनके द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कतिपय कारणों से असमर्थता व्यक्त की गई। तत्समय उन्हें प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं0 2493/रेनु0/16एफ-39, दिनांक 19.01.2013 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 28.01.2013 की

Scanned with CamScanner

तिथि निर्धारित की गई (संलग्नक–6) । दिनांक 28.01.2013 को महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0– मु0महा प्र0/ककरी वन/2013/898, दिनांक 27.01.2013 के माध्यम से एन0सी0एल0 द्वारा निजी कम्पनियों को लीज पर दी गई भूमि की लीज डीड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई (संलग्नक–7) ।

3. एन0सी0एल0 ककरी परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये गये लीज डीड एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार एन0सी0एल0 ककरी द्वारा धारा–4 में विज्ञापित वन भूमि भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0, रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर ली0, अनपरा सोनभद्र को वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दी गई है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंघन है ।

क. सं.	लीज धारक	लीज का दिनांक	लीज का प्रयोजन	लीज का क्षेत्रफल	निहित वन भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1	मे0 हिण्डालको इण्ड0 लि0 रेनुसागर पावर डिविजन, सोनभद्र	21.02.2009	एश पाईप लाईन, इलेक्ट्रीकल लाईट एवं मरम्मत कार्यो के लिए रास्ते के निर्माण हेतु	7.43 एकड़	5.5203 एकड़
2	–"–	10.06.2011	कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना	30.86 एकड़	6.1405 एकड़
3	मे0 लैंको अनपरा पावर लि0, अनपरा सोनभद्र	30.11.2010	वार्फ वाल/रेलवे साईडिंग की स्थापना	8.8 एकड़	6.6 एकड़
	योग			47.09 एकड़	18.2608 एकड़

4. मे0 नार्दन कोल फील्डस लि0, ककरी परियोजना द्वारा मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर ली0, अनपरा सोनभद्र को उक्त विवरण के अनुसार भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना धारा–4 में विज्ञापित कुल 18.2608 एकड़ वन भूमि वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दिये जाने से सम्बन्धित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन बावत् नोटिस प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं0 3271/रेनु0/ दिनांक 22.02.2013 के माध्यम से चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि0, सिंगरौली को प्रेषित किया गया तथा उनसे इस आशय का आग्रह किया गया कि उक्त उल्लंघन के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उनके नाम व पद तथा उनके उत्तरदायित्व के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाये (संलग्नक–8)। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि0, सिंगरौली के स्तर से कोई सूचना प्राप्त न होने पर प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं0 3412/37, दिनांक 02.03.2013 के माध्यम से अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया परन्तु उनके स्तर से कोई सूचना उपलब्ध नही कराई है (संलग्नक–9)। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि0, सिंगरौली के स्तर से उत्तरदायी कर्मचारियों के नाम का साक्ष्य उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के विचार से इस उल्लंघन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक जिम्मेदारी हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नाम उसका औचित्य निम्न प्रकार है :–

क सं	अधिकारी का नाम	पद	जिम्मेदारी का स्तर	औचित्य
1	2	3	4	5
1	अमितव राव	मुख्य महाप्रबन्धक , राजस्व एवं पुनर्वास,	द्वितीयक	मे0. अनपरा पावर लि0, अनपरा के साथ निष्पादित लीज डीड 03.11.2010 में

Scanned with CamScanner

		एन0सी0एल0, सिंगरौली		एन0सी0एल0 की ओर से हस्ताक्षर किये गये ।
2	संजय मिश्रा	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिंगरौली	द्वितीयक	मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर के साथ दिनांक 10.06.2011 को निष्पादित लीज डीड पर एन0सी0एल0 सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये ।
3	जी.पी.पुर्वे	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिंगरौली	द्वितीयक	मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर के साथ दिनांक 21.02.2009 को निष्पादित लीज डीड पर एन0सी0एल0 सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये ।
4	एस0के0झॉ	महाप्रबन्धक, एन0सी0एल0,ककरी,सोनभद्र	प्राथमिक	ककरी परियोजना के अन्तर्गत कार्यालय अध्यक्ष एवं मुखिया के रूप में ।
5	यू0एस0सिंह	पर्यावरण अधिकारी, ककरी परियोजना	प्राथमिक	प्रोजेक्ट की भूमि के कस्टोडियन के रूप में प्रभाग स्तर पर आयोजित इस प्रभाग से सम्बन्धित समस्त बैठकों में भाग लिया गया ।
6	एस0के0सिंह	स्टाफ अधिकारी, कार्मिक/सुरक्षा इंचार्ज, ककरी परियोजना	प्राथमिक	महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना के कार्यालय के पत्र सं0 म0महाप्रन्धक/ककरी वन/2012/893, दिनांक 27.02.2012 द्वारा सूचित होने के कारण ।

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रेषित उपरोक्त विवरण के आधार पर नार्दन कोल फील्ड लि0 ककरी परियोजना में परियोजना के नियंत्रणाधीन भारतीय वन अधिनियम में विज्ञापित कुल 18.2608 एकड़ वन भूमि को भारत सरकार की अनुमति के बिना वनेत्तर प्रयोग हेतु निजी कम्पनियों को लीज पर दिये जाने सम्बधित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के उल्लंघन का प्रकरण अधिनियम की धारा–3क के तहत कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ को सूचित करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः प्रश्नगत प्रकरण को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय , (मध्य क्षेत्र) सेक्टर –एच0, अलीगंज, लखनऊ को वस्तुस्थिति से अवगत कराने की कृपा करें । उक्त उल्लंघन की पुष्टि हेतु निम्न अभिलेख संलग्न किये जा रहे है:–

1. एन0सी0एल0 द्वारा निष्पादित लीज डीड 21.02.2009, 10.06.2011 एवं 30.11.2010 की छाया प्रतियां संलग्न है (संलग्नक–10 एवं 11)।
2. लीज में दी गई भूमि में निहित वन भूमि का विवरण संलग्न है (संलग्नक–12, 13 एवं 14)।
3. धारा–4 की विज्ञप्ति सं0 2849/14–अ/4/(51)'69, दिनांक 16.09.69 की प्रति (संलग्नक–15) ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(अजय कुमार)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या 6473 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अजय कुमार) 20/06/13
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

D:\Setelment\setelment drafting\saptahiki.doc

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र ।

पत्रांक ५७०५ /रेनुकूट/ 12 ९६० , दिनांक, रेनुकूट, जून 10 – 2013

सेवा में,

वन संरक्षक,
विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर ।

विषय– वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन ।

महोदय,

अवगत कराना है कि नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना के अन्तर्गत धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुपालन की समीक्षा हेतु दिनांक 15.12.2012 को प्रभागीय कार्यालय, रेनुकूट में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना नार्दन कोल फील्ड लि0 को आमंत्रित कियां गया (संलग्नक–1)। उक्त बैठक में ककरी परियोजना के ओर से श्री एस0के0सिंह, खान अधिकारी एवं यू0एस0सिंह पर्यावरण अधिकारी उपस्थित हुए । अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त बैठक में एन0सी0एल0 के उपस्थित अधिकारियों को एन0सी0एल0 के नियंत्रण के अधीन भारतीय वन अधिनियम 1980 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञापित वन भूमि को भारत सरकार के अनुमति प्राप्त किये बिना लैण्को पावर एवं अन्य निजी एजेंसियों को लीज पर एन0सी0एल0 द्वारा भूमि दिये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा एन0सी0एल0 को बैठक मे उपस्थित अधिकारियों के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये । एन0सी0एल0 के उपस्थित अधिकारियों को एन0सी0एल0 द्वारा निजी कम्पनियों को लीज़ डीड पर दी गई भूमि के अभिलेख इत्यादि प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये । बैठक के कार्यवाही के साक्ष्य के रूप में प्रभागीय कार्यालय के पत्र सं0 2071/रेनु0/12, दिनांक 15.12.2012 की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है (संलग्नक–2) ।

2. एन0सी0एल0 ककरी परियोजना द्वारा समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उन्हे उक्त सूचना/अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 2161/रेनु0/12, दिनांक 24.12.2012 के माध्यम से अनुस्मारक प्रेषित किया गया (संलग्नक–3) । उक्त अनुस्मारक के पश्चात महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना के द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0 महाप्रबन्धक/ककरी/11/2012/893, दिनांक 27.12.2012 द्वारा अवगत कराया गया कि एन0सी0एल0 द्वारा लैन्को या अन्य किसी एजेंसी को जो भूमि दी गई है वह वन भूमि नही है तथा महाप्रबन्धक, एन0सी0एल0, ककरी परियोजना द्वारा लीज सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये (संलग्नक–4) । तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0 2401/10टी.सी., दिनांक 11.01.2013 के माध्यम से श्री एस0के0झॉं, महा प्रबन्धक एन0सी0एल0 ककरी को उक्त अभिलेख एवं सूचना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देते हुए अवगत कराया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम के अनुपालन से सम्बन्धी वांछित अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के श्रेणी में आता है (संलग्नक–5)। दिनांक 19.01.2013 को एन0सी0एल0 ककरी परियोजना की ओर से श्री एस0के0सिंह, महाप्रबन्धक एवं श्री यू0एस0सिंह, पर्यावरण अधिकारी, प्रभागीय कार्यालय में उपस्थित हुए परन्तु उनके द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कतिपय कारणों से असमर्थता व्यक्त की गई । तत्समय उन्हें इस कार्यालय के पत्र सं0 2493/रेनु0/16एफ–39, दिनांक 19.01.2013 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 28.01.2013 की तिथि निर्धारित की गई (संलग्नक–6) । दिनांक 28.01.2013 को महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0 मु0महा प्र0/ककरी वन/2013/898, दिनांक 27.01.2013 के माध्यम से एन0सी0एल0 द्वारा निजी कम्पनियों को लीज पर दी गई भूमि की लीज डीड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई (संलग्नक–7) ।

3. एन0सी0एल0 ककरी परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये गये लीज डीड एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार एन0सी0एल0 ककरी द्वारा धारा–4 में विज्ञापित वन भूमि भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर ली0, अनपरा सोनभद्र को वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दी गई है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंघन है ।

क. सं.	लीज धारक	लीज का दिनांक	लीज का प्रयोजन	लीज का क्षेत्रफल	निहित वन भूमि का क्षेत्रफल
				5	6
1	2	3	4		
1	मे0 हिण्डालको इण्ड0 लि0 रेनुसागर पावर डिविजन, सोनभद्र	21.02.2009	एश पाईप लाईन, इलेक्ट्रीकल लाईट एवं मरम्मत कार्यो के लिए रास्ते के निर्माण हेतु	7.43 एकड़	5.5203 एकड़
2	–"–	10.06.2011	कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना	30.86 एकड़	6.1405 एकड़
3	मे0 लैंको अनपरा पावर लि0, अनपरा सोनभद्र	30.11.2010	वार्फ वाल/रेलवे साईडिंग की स्थापना	8.8 एकड़	6.6 एकड़
	योग			47.09 एकड़	18.2608 एकड़

Scanned with CamScanner

4. नार्दन कोल फील्डस लि0, ककरी परियोजना द्वारा मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर ली0, अनपरा सोनभद्र को उक्त विवरण के अनुसार भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना धारा–4 में विज्ञापित कुल 18.2608 एकड़ वन भूमि वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दिये जाने से सम्बन्धित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन बावत नोटिस इस कार्यालय के पत्र सं0 3271/रेनु0/ दिनांक 22.02.2013 के माध्यम से चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि0, सिंगरौली को प्रेषित किया गया तथा उनसे इस आशय का आग्रह किया गया कि उक्त उल्लंघन के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उनके नाम व पद तथा उनके उत्तरदायित्व के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाये (संलग्नक–8)। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि0, सिंगरौली के स्तर से कोई सूचना प्राप्त न होने पर इस कार्यालय के पत्र सं0 3412/37, दिनांक 02.03.2013 के माध्यम से अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया परन्तु उनके स्तर से कोई सूचना उपलब्ध नही कराई है (संलग्नक–9)। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि0, सिंगरौली के स्तर से उत्तरदायी कर्मचारियों के नाम का साक्ष्य उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के विचार से इस उल्लंघन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक जिम्मेदारी हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नाम उसका औचित्य निम्न प्रकार है :–

क0सं0	अधिकारी का नाम	पद	जिम्मेदारी का स्तर	औचित्य
1	2	3	4	5
1	अमितव राव	मुख्य महाप्रबन्धक , राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिंगरौली	द्वितीयक	मे0 अनपरा पावर लि0, अनपरा के साथ निष्पादित लीज डीड 03.11.2010 में एन0सी0एल0 की ओर से हस्ताक्षर किये गये ।
2	संजय मिश्रा	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिंगरौली	द्वितीयक	मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर के साथ दिनांक 10.06.2011 को निष्पादित लीज डीड पर एन0सी0एल0 सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये ।
3	जी.पी.पुर्वे	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिंगरौली	द्वितीयक	मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर के साथ दिनांक 21.02.2009 को निष्पादित लीज डीड पर एन0सी0एल0 सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये ।
4	एस0के0झॉ	महाप्रबन्धक , एन0सी0एल0, ककरी, सोनभद्र	प्राथमिक	ककरी परियोजना के अन्तर्गत कार्यालय अध्यक्ष एवं मुखिया के रूप में ।
5	यू0एस0सिंह	पर्यावरण अधिकारी, ककरी परियोजना	प्राथमिक	प्रोजेक्ट की भूमि के कस्टोडियन के रूप में प्रभाग स्तर पर आयोजित इस प्रभाग से सम्बन्धित समस्त बैठकों में भाग लिया गया ।
6	एस0के0सिंह	स्टाफ अधिकारी, कार्मिक/ सुरक्षा इंचार्ज, ककरी परियोजना	प्राथमिक	महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना के कार्यालय के पत्र सं0 म0महाप्रन्धक/ ककरी वन /2012/893, दिनांक 27.02.2012 द्वारा सूचित होने के कारण ।

अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर नार्दन कोल फील्ड लि0 ककरी परियोजना में परियोजना के नियंत्रणाधीन भारतीय वन अधिनियम में विज्ञापित कुल 18.2608 एकड़ वन भूमि को भारत सरकार की अनुमति के बिना वनेत्तर प्रयोग हेतु निजी कम्पनियों को लीज पर दिये जाने सम्बधित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के उल्लंघन का प्रकरण अधिनियम की धारा –3क के तहत कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ को सूचित करने का कष्ट करें । उक्त उल्लंघन की पुष्टि हेतु निम्न अभिलेख संलग्न किये जा रहे है:–

1. एन0सी0एल0 द्वारा निष्पादित लीज डीड 21.02.2009, 10.06.2011 एवं 30.11.2010 की छायाप्रतियां संलग्न है (संलग्नक–10 एवं 11)।
2. लीज में दी गई भूमि में निहित वन भूमि का विवरण संलग्न है (संलग्नक–12, 13 एवं 14)।
3. धारा–4 की विज्ञप्ति सं0 2849/14–अ/4/(51)'69, दिनांक 16.09.69 की प्रति (संलग्नक–15) ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आशीष तिवारी) 08/06
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ।

Scanned with CamScanner

पत्रांक 4704-अ/सम, दिनांक ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नकः-यथोपरि ।

(आशीष तिवारी) 03/06
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ।

Scanned with CamScanner